वाइटल स्टैट्स

महाराष्ट्र की 14वीं विधानसभा का कामकाज

महाराष्ट्र की 15वीं विधानसभा के लिए चुनाव 20 नवंबर, 2024 को होंगे। इस नोट में 14वीं विधानसभा की अवधि तथा नवंबर 2019 और जुलाई 2024 के बीच महाराष्ट्र विधानसभा के कामकाज की समीक्षा की गई है।

घटनाओं से भरपूर रही विधानसभा

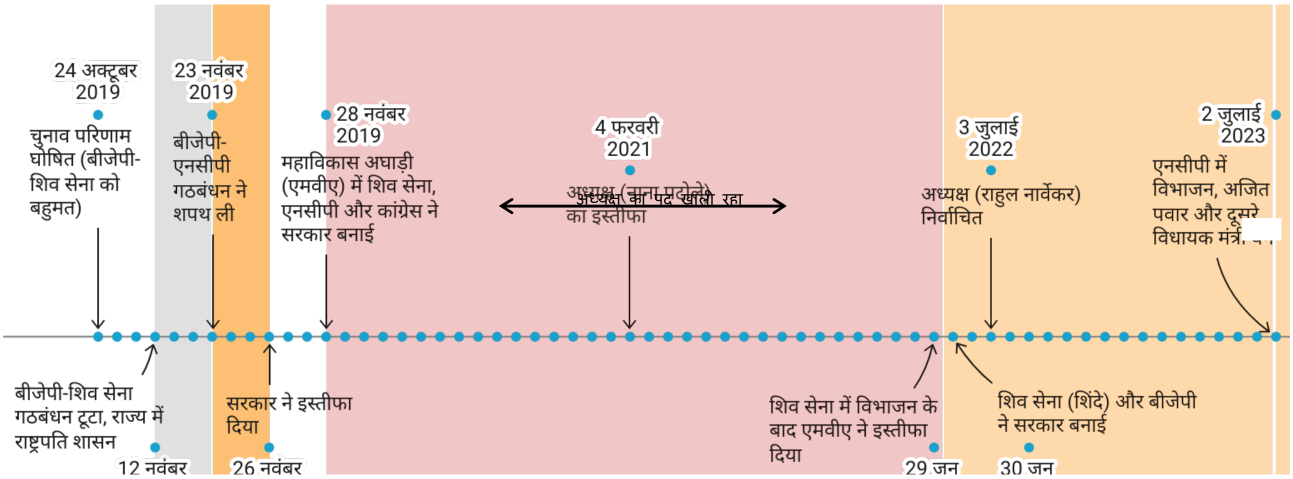

नोट: समय रेखा किसी पैमाने पर आधारित नहीं है।

- तीन व्यक्तियों ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली।
- विधानसभा का हिस्सा रहे 18% विधायक (53 व्यक्ति) मंत्री रहे हैं।
- 2022 और 2023 के बीच 120 से अधिक विधायकों (कुल विधानसभा का 42%) ने अयोग्यता की कार्यवाही का सामना किया है।

मंत्री पद की औसत अवधि 2.5 वर्ष

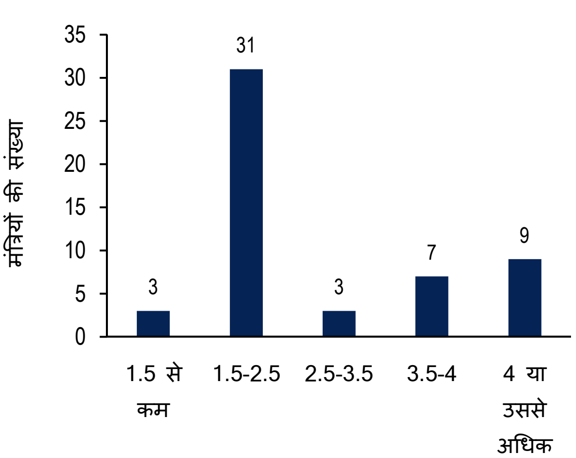

अध्यक्ष का पद एक वर्ष से अधिक समय तक खाली रहा

फरवरी 2021 में अध्यक्ष (नाना पटोले) ने इस्तीफा दे दिया। इसके बाद एक वर्ष तक विधानसभा ने अध्यक्ष के बिना, उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में काम किया। विधानसभा की प्रक्रिया के नियमों के अनुसार राज्यपाल द्वारा गुप्त मतदान के जरिए अध्यक्ष के चुनाव को अधिसूचित किया जाता है। व्यावहारिक रूप से यह मुख्यमंत्री के परामर्श से किया जाता है। दिसंबर 2021 में अध्यक्ष के चुनाव के लिए ध्वनि मतदान की अनुमति देने के लिए प्रक्रिया के नियमों में संशोधन किया गया। राज्यपाल ने मार्च 2022 सत्र के दौरान अध्यक्ष पद के चुनाव कराने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। सरकार बदलने के बाद जुलाई 2022 में एक नया अध्यक्ष (राहुल नार्वेकर) चुना गया।

निरंजना एस. मेनोन
niranjana@prsindia.org

अत्रि प्रसाद राउत
atri@prsindia.org

29 अक्टूबर, 2024

विधानसभा की बैठकें वर्ष में 27 दिन हुईं और औसतन 7 घंटे तक चलीं

विधानसभा की बैठकें राष्ट्रीय औसत से अधिक दिनों तक चलीं

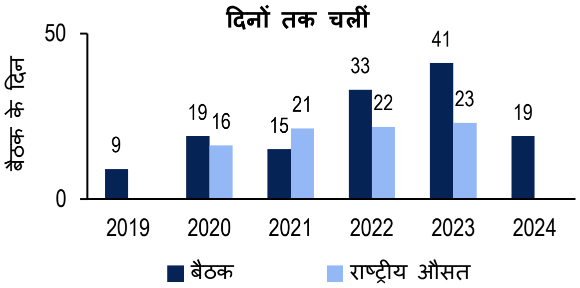

नोट: विधानसभा की बैठक नवंबर 2019 और जुलाई 2024 के बीच हुई। राष्ट्रीय औसत 27 राज्य विधानसभाओं की औसत बैठकों को दर्शाता है।

बैठकों की औसत अवधि

सबसे लंबी बैठक 15 घंटे (14 मार्च, 2023)

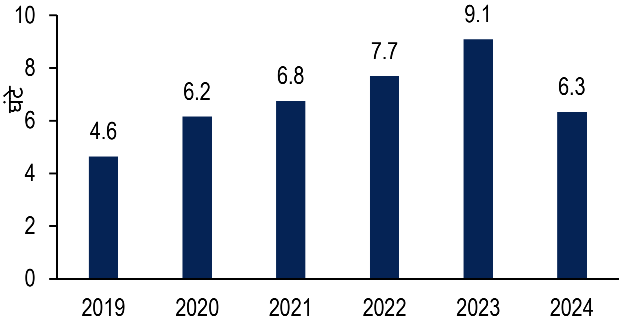

70% बिल पांच या उससे कम दिन में पारित; नौ बिल कमिटीज़ के पास भेजे गए

एक तिहाई बिल पेश होने के एक दिन के भीतर दोनों सदनों में पारित हो गए

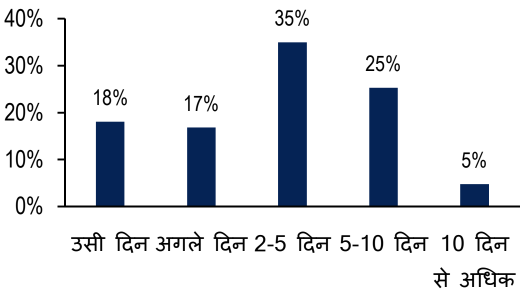

नोट: इसमें पिछले सत्र (जून-जुलाई 2024) में पारित बिल शामिल नहीं हैं, क्योंकि तब के आंकड़े उपलब्ध नहीं है। फाइनांस और एप्रोप्रिएशन बिल भी शामिल नहीं हैं।

बिल का शीर्षक	पेश	कमिटी को भेजा गया	रिपोर्ट के लिए समय	बैठकें हुईं
शक्ति क्रिमिनल कानून बिल, 2020	14 दिसंबर 2020	15 दिसंबर 2020	372 दिन	13
विशिष्ट विशेष न्यायालय (शक्ति कानून के लिए) बिल, 2020	14 दिसंबर 2020	27 दिसंबर 2021	70 दिन	4
लोकायुक्त बिल, 2022	26 दिसंबर 2022	25 मार्च 2023	265 दिन	NA
मथाडी, हमाल और अन्य मैनुअल वर्कर्स बिल, 2023	27 जुलाई 2023	NA	पेश नहीं की गई	NA
किसान क्षतिपूर्ति भुगतान बिल, 2023	04 अगस्त 2023	NA	पेश नहीं की गई	NA
कीटनाशक बिल, 2023	04 अगस्त 2023	NA	पेश नहीं की गई	NA
बीज बिल, 2023	04 अगस्त 2023	NA	पेश नहीं की गई	NA
अनिवार्य वस्तु बिल, 2023	04 अगस्त 2023	NA	पेश नहीं की गई	NA
खतरनाक गतिविधि निवारण बिल, 2023	04 अगस्त 2023	NA	पेश नहीं की गई	NA

नोट: NA - उपलब्ध नहीं

पारित होने वाले अधिकतर बिल शिक्षा और स्थानीय शासन से संबंधित

50% पारित बिल शिक्षा या स्थानीय शासन से संबंधित

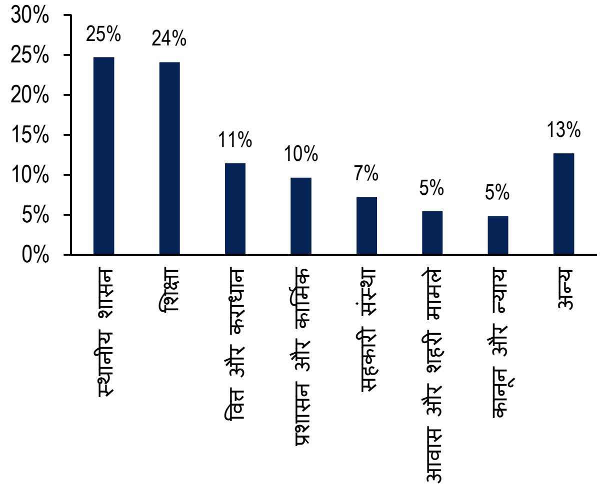

- विधानसभा द्वारा पारित प्रमुख बिल्स में निम्न शामिल हैं: (i) शक्ति बिल, 2020 जिसने महिलाओं और बच्चों के साथ बलात्कार और एसिड हमलों जैसे कुछ अपराधों के लिए दंड बढ़ाया है, (ii) केंद्र द्वारा पारित कृषि कानूनों में संशोधन के लिए तीन बिल (संसद द्वारा केंद्रीय कानूनों को निरस्त करने के बाद निष्प्रभावी), और (iii) नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में मराठा समुदाय को 10% आरक्षण प्रदान करने वाला एक बिल।
- निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना या सार्वजनिक विश्वविद्यालयों से संबंधित प्रावधानों में बदलाव करने वाले 33 बिल पारित किए गए। शहरी स्थानीय निकायों (नगर निगम, नगर परिषद आदि) से संबंधित 24 बिल भी पारित किए गए।

गैर सरकारी सदस्यों के 20 बिल (पीएमबीज़) पांच वर्षों में पेश, किसी पर चर्चा नहीं

सभी पीएमबी 10 विधायकों द्वारा पेश

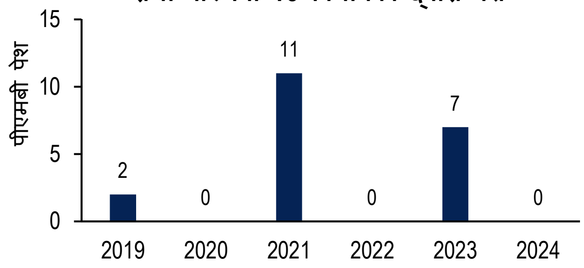

नोट: आंकड़े नवंबर 2019 से मार्च 2024 के बीच के हैं।

2024 में जारी अध्यादेशों की दूसरी सबसे बड़ी संख्या

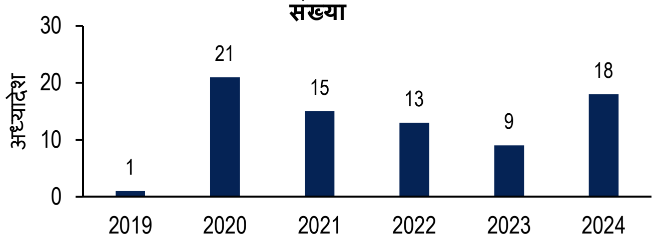

नोट: विधानसभा का कार्यकाल अक्टूबर 2019 में शुरू हुआ।

विधानसभा की बैठकों में 83% उपस्थिति; शहरी विकास विभाग को सबसे अधिक प्रश्न प्राप्त हुए

सभी वर्षों में उपस्थिति 75% से अधिक रही

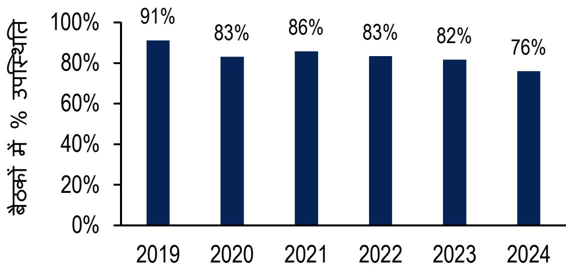

नोट: इसमें वे विधायक शामिल नहीं हैं जो मंत्री, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष रह चुके हैं। आंकड़े नवंबर 2019 से मार्च 2024 के बीच के हैं।

लगभग 65% प्रश्न आठ विभागों से

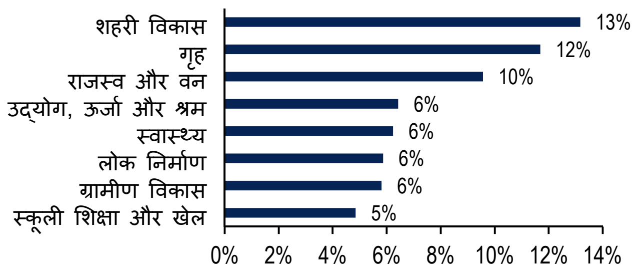

नोट: आंकड़े नवंबर 2019 से मार्च 2024 के बीच के हैं।

स्रोत: न्यूज रिपोर्ट्स; सर्वोच्च न्यायालय और मुंबई उच्च न्यायालय की केस डायरी; प्रदर्शन समीक्षा, संक्षिप्त रिपोर्ट और महाराष्ट्र विधानसभा की प्रक्रिया के नियम (http://mls.org.in/index.aspx).

स्वीकरणः प्रस्तुत रिपोर्ट आपके समक्ष सूचना प्रदान करने के लिए प्रस्तुत की गई है। पीआरएस लेजिसलेटिव रिसर्च (पीआरएस) के नाम उल्लेख के साथ इस रिपोर्ट का पूर्ण रूपेण या आंशिक रूप से गैर व्यावसायिक उद्देश्य के लिए पुनःप्रयोग या पुनर्वितरण किया जा सकता है। रिपोर्ट में प्रस्तुत विचार के लिए अंततः लेखक या लेखिका उत्तरदायी हैं। यद्यपि पीआरएस विश्वसनीय और व्यापक सूचना का प्रयोग करने का हर संभव प्रयास करता है किंतु पीआरएस दावा नहीं करता कि प्रस्तुत रिपोर्ट की सामग्री सही या पूर्ण है। पीआरएस एक स्वतंत्र, अलाभकारी समूह है। रिपोर्ट को इसे प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के उद्देश्यों अथवा विचारों से निरपेक्ष होकर तैयार किया गया है। यह रिपोर्ट मूल रूप से अंग्रेजी में तैयार की गई है। हिंदी रूपांतरण में किसी भी प्रकार की अस्पष्टता की स्थिति में अंग्रेजी की मूल रिपोर्ट से इसकी पुष्टि की जा सकती है।